

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2017-18/

लखनऊ : दिनांक 06/12/17

-:: कार्यालय ज्ञाप ::-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ/सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13 दिनांक 13.01.2014, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/ सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजन के इच्छुक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.12.2017 से 25.12.2017 तक ऑन-लाइन वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं।


अतः सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन हेतु वेबसाइट <http://uphealth.up.nic.in> का अवलोकन कर दिनांक 10.12.2017 से 25.12.2017 तक वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2017-18/7593-96

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
- 2- अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, रतन स्ववायर चतुर्थ तल, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री आर0एस0 वर्मा (प्रोग्रामर कम्प्यूटर सेल), चिकित्सा अनुभाग-2 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)